न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 16/24 वर्ष 2024

जीसीएमएस संख्या 2024/111

बउनवानीः–महिला बहुउद्वेशीय सहकारी समिति, पीओएस मशीन संख्या 19751, उ.मु.दुकानदार ग्राम पंचायत गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये परिवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.2024 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः–श्री अभय कुमार गुप्ता — वकील अपीलान्ट

श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

–:निर्णय :– दिनांकः– 27.5.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 19.6.2024 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत गंभीरा का अधिकृत राशन डीलर है जिसका अनुज्ञा पत्र रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट के नाम जारी किया है एवं प्रार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से पिछले कई वर्षो से रसद सामग्री का वितरण करती चली आ रही है, किन्तु राजनैतिक द्वैषता एवं अन्य उचित मूल्य दुकानदार को फायदा पहॅुचाने की गरज से अपीलान्ट पर अवैधानिक तरीके से अनिमितता का आरोप लगाकर आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट एक महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति स्वंय सहायता समूह है जिसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश तथा समय समय पर खाद्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करती है किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक के असत्य एवं निराधार तथ्यों पर रिकार्ड एवं वस्तु स्थिति के परे जाकर प्रार्थीया के विरूद्व अनियमितताओ के गलत आरोप लगाकर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस कमांक 281 जारी कर उसी दिन गोपनीय तरीके से आदेश कमांक 2024/269 दिनांक 25.01.2024 से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जिसकी सूचना अपीलान्ट को 9.2.2024 को जिला रसद कार्यालय मे आने पर दी गयी। पत्रावली से प्राप्त पत्र कमांक 125 दिनांक 13.5.2024 से स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को लिखे गये पत्र मे अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित हुए 90 दिवस से अधिक का

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

समय हो चुका है। प्रार्थीया एक स्वंय सेवी संस्था है जो नियमित रूप से वर्ष 2016 से उपभौक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करती चली आ रही है। उक्त उचित मूल्य दुकान को अन्य उचित मूल्य दुकान के अटैच करवाये जाने का काफी समय से प्रयास किया जा रहा था जिसके चलते ही विपक्षीगण के द्वारा अन्य उचित मूल्य दुकानदार से सांठ गांठ कर अपीलान्ट के विरूद्व गलत तरीके से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गयी है। सितम्बर 2016 में अपीलान्ट को जारी की गयी पीओएस मशीन नम्बर 19751 मे अन्य उचित मूल्य दुकानदार पीओएस मशीन नम्बर 15161 को जारी किये गये गेहूॅ को गलत तरीके से चढा रखा था। अपीलान्ट की ओर से राशन साग्रमी वितरण में अनियमितता किये जाने तथा गेहूॅ एवं फूड पैकेट खुर्द बुर्द करने के आरोप सहित सभी आरोप निराधार है क्योकि गेंहूॅ एवं फूड पैकेट का विभागीय आदेशो के तहत पूरा वितरण किया गया है। जहॉ तक 534.15 किलोग्राम गेहूॅ का प्रश्न है तो विभाग द्वारा देरी से भेजे जाने के कारण पोस मशीन मे रिसीव नही हो पाया था जो बाद में रिसीव किया गया है इसलिए खुर्द बुर्द की सम्भावना का आरोप निराधार है। पखवाडे मे दिनांक 1.1.2024, 23.1.2024 दिनांक 24.1.2024 तीन दिन ही उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रश्न है तो तत्सयम अपीलान्ट का बच्चा बिमार होने की सूचना विभाग के अधिकारियो को व्यक्तिगत रूप से भिजवा दी गयी थी तथा बाद में उपभौक्ताओं को राशन सामग्री का पूरा वितरण कर दिया गया था। रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा पोस मशीन जॉच कर माह जून,2019 को शिमला देवी द्वारा महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति गंभीरा की पोस मशीन संख्या 19751 जिसमे 232.64 किलोग्राम गेहूॅ अवशेष स्टॉक के रूप प्राप्त किये गये थे बाद में 90 किलो गेहूॅ चौथ का बरवाडा क्रय विक्रय सहकारी समिति मे नही भेजा गया था अन्नपूर्णा सहकारी समिति सवाईमाधोपुर मे 60 क्विंटल गेंहूॅ भी नही भेजा गया था तथा 150 क्विंटल गेंहूॅ अपीलान्ट की पोस मशीन में गलत ढंग से अंकित कर दिया गया था जिसकी सूचना रेस्पो0 संख्या 2 के कार्यालय में अपीलान्ट द्वारा कई बार दी गयी लेकिन उस पर कोई ध्यान नही दिया गया। अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार की 6ए की कार्यवाही भी विचाराधीन नही है तथा कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नियत समय दिनांक 2.4.2024 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु अपीलान्ट के जवाब को कन्सीडर नही किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की पीओएस मशीन में 61895.940 किलोग्राम गेंहूॅ प्रारम्भिक स्टॉक तथा जनवरी,2024 की आमद 6151 किलोग्राम समर्पित नही करवाये जाने तथा भौतिक सत्यापन नही करवाये जाने एवं फूट पैकेट कम होने का आरोप निराधार है रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस मे मात्र संदेह जाहिर किया है तथा संदेह के आधार पर आदेश पारित कर अहम भूल की है। आदेश जैर अपील खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 5.8.2016 एवं 24.3.2017 के प्रावधानो को दरकिनार करते हुए पारित किया गया है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि किसी अपरिहार्य कारण से एवं किसी छोटी मोटी तकनिकी कमियो के आधार पर डीलर के विरूद्व मुकदमा नही बनाया जावे किन्तु रेस्पो. संख्या 2 द्वारा केवल तकनिकी आधार पर अत्यधिक कठोर दण्ड देते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि अपीलान्ट पर कोई गबन का आरोप प्रमाणित नही हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही स्वैच्छाचारी ढंग से अपना निर्णय दिनांक 19.6.2024 पारित किया है जो विधिविरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

......(2)......

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

(अपील रसद संख्या 16/2024 उनवानी महिला बहुउद्देश्य बनाम प्रवर्तन निरीक्षक वगै.)

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम गंभीरा के उचित मूल्य दुकानदार महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति पीओएस मशीन संख्या 19751 की जॉच क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक श्री रिपुदमन सिंह द्वारा की गयी दौराने जॉच उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितताऐ पायी जाने पर पत्र कमांक/अभियोजन/2024/281 दिनाक 25.01.2024 से अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमे कमश निम्न आरोप है। **आरोप सख्या 1**. ऑन लाईन जॉच अनुसार जनवरी,2024 में प्रारम्भिक स्टॉक 61895.940 किलोग्राम गेंहूँ था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 23.01.2024 तक मात्र 61 किलोग्राम गेंहूँ का वितरण किया गया। **आरोप सख्या 2**. विभागीय नियमों के तहत खाद्यान्न आपूर्ति के 48 घंटे के अन्दर पोस मशीन मे रिसिव करने का प्रावधान है जबकि उ.मू.दुकानदार द्वारा आपूर्ति होने के 20 दिन से अधिक समय हो जाने पर भी पोस मशीन में राशन सामग्री रिसीव नही की गयी है। **आरोप सख्या 3**. उ.मू.दुकानदार को 6151 किलोग्राम गेंहूँ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उपलब्ध करवाया गया था किन्तु दिनांक 23.01.2024 तक मात्र 5616.80 किलोग्राम गेंहूँ ही पोस मशीन मे रिसीव किया गया है शेष 534.15 किलोग्राम गेंहूँ पीस मशीन में रिसीव नही किया गया है जिसको खुर्द बुर्द करने की सम्भावना है। **आरोप सख्या** 4. उ.मू.दुकानदार द्वारा दिनांक 1.1.2024, 23.01.2024, एवं 24.01.2024 तीन दिन ही दिनांक 24.1.2024 तक ही दुकान खोली है। **आरोप सख्या** 5. उ.मू. दुकानदार द्वारा उपभौक्ता पखवाडा में बिना सूचना के दुकान बन्द रखी गयी है तथा उपभौक्ता पखवाडा में मात्र 61 किलोग्राम गेंहूँ ही वितरण किया गया है इससे स्पष्ट है कि उपभौक्ताओं को आवश्यक वस्तुआ सें वंचित रखा गया है। **आरोप सख्या** 6. उ.मू.दुकानदार द्वारा 61895.940 किलोग्राम गेंहूँ प्रारम्भिक स्टॉक तथा जनवरी,2024 की आमद 6151 किलोग्राम होने के बावजूद भी गेंहूँ समर्पित नही करवाया जा रहा है। दुकान मे उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नही करवाया जा रहा है इससे आशंका है कि संस्था द्वारा गेंहूँ एवं फूड पैकेट खुर्द बुर्द कर दिया गया है। उपरोक्त अनियमितताओ के कारण जिला रसद कार्यालय के पत्रांक/अभियोग/2024/269 दिनांक 25.01.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया तथा उक्त दुकान का अस्थायी अटैचमेंट कार्यालय पत्रांक /अभियोग/2024/294 दिनांक 25.1.2024 से जीएसएस जीनापुर पीओएस मशीन संख्या 19763 ग्राम पंचायत जीनापुर के किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति पीओएस मशीन संख्या 19751 ग्राम पंचायत गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर की स्टॉक स्थानान्तरण रिपोर्ट दिनांक 12.2.2024 को पीओएस मशीन संख्या 19751 मे 64867.00 किलोग्राम गेंहूँ दर्ज था जो महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति गंभीरा द्वारा अटैचमेंट जीएसएस जीनापुर को उपलब्ध नही करवाया गया है केवल पीओएस मशीन संख्या 19751 ही सुपुर्द की गयी है। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.6.2024 को महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति की पीओएस मशीन संख्या 19751 की रिपोर्ट पेश की गयी जिसके अनुसार दिनांक 23.1.2024 को प्रारम्भिक स्टॉक 61895.940 किलोग्राम दर्ज था एवं 534.15 किलोग्राम गेंहूँ पीओएस मशीन मे रिसीव नही किया गया। दिनांक 12.2.2024 को अटैचमेंट उ.मू.दुकानदार जीएसएस जीनापुर को महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति गंभीरा द्वारा स्टॉक हस्तानान्तरण करवाया गया जिसमे दिनांक 12.2.2024 को पीओएस मशीन नम्बर 19751 में 64867.00 किलोग्राम गेंहूँ दर्ज था जिसमे से महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति द्वारा किसी प्रकार का गेंहूँ जीएसएस जीनापुर को उपलब्ध नही करवाया गया है। मुताबिक रिपार्ट प्रवर्तन अधिकारी श्री विनोद कुमार के पीओएस

......(3)......

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested

मशीन संख्या 19751 मे 33264.00 किलोग्राम गेहूँ गलत दर्ज है एवं उचित मूल्य दुकानदार महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति गंभीरा का प्राधिकार पत्रधारी रेखाबाई ने 33315 किलोग्राम गेहूँ दौरान स्टॉक हस्तानन्तरण शिमला देवी से प्राप्त किया है। दिनांक 12.2.2024 को पीओएस मशीन नम्बर 19751 मे 64867.00 किलोग्राम गेहूँ मे से तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी श्री विनोद कुमार की रिपोर्ट के आधार पर 33264.00 किलोग्राम गेहूँ कम करने पर (64867-33264=31603) अर्थात 31603 किलोग्राम गेहूँ दुकानदार के पास शेष होना चाहिए था जिसका डीलर द्वारा स्टॉक हस्तानान्तरण नही करवाया गया है। इस प्रकार अपील डीलर द्वारा 31603.00 किलोग्राम गेहूँ का गबन किया जाना पाया गया। उक्त गबन का आरोप निराधार होने बाबत अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किये है। अतः अपीलान्ट डीलर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कुल 31603.00 किलोग्राम गेहूँ दुरूपयोग कर विभागीय परिपत्र अनुसार 27/-रू प्रतिकिलोग्राम के हिसाब से 8,53,281/-रू का गबन किया गया जाने पप राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति पीओएस मशीन नम्बर 19751 ग्राम पंचायत गंभीरा तहसील सवाईमाधोपुर की समस्त जमा प्रतिभूति राशि का समपहरण किया जाकर शेष देनदारियां लंबित रखते हुए महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति गंभीरा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार श्री अपीलान्ट डीलर महिला बहुउद्वेश्य सहकारी समिति ग्राम पंचायत गंभीरा द्वारा कुल 31603.00 किलोग्राम गेंहूँ का गबन किया गया है तथा उक्तानुसार पाये गये गबन के संबंध मे अपीलान्ट डीलर को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 2.4.2024 को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब से हो जाती है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर उस पर लगाया गया अरोप निराधार साबित हो सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। साथ ही जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि गबन की राशि 8,53,281/-रू वसूलने की कार्यवाही की जावें। एवं यदि अभी तक अपीलान्ट डीलर के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज नही करवायी गयी हो तो अब तुरन्त एफ.आई.आर दर्ज करवायी जाकर पालना भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:47 IST
Reason: SelfAttested